उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद

के

संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

(The particulars of its organization, functions and duties)

1) प्रस्तावना :–

रोजगार की संभावनाओं के सृजन में बांस एवं प्राकृतिक रेशों के महत्व को समझते हुए उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा 7 जुलाई 2003 को 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत 'उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्' का गठन किया गया। मुख्य वन संरक्षक पद के अधिकारी को इसका पूर्णकालिक सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। परिषद् के मुख्य कार्यों में संपदा विकास के अलावा डिजाइन केंद्रों एवं सामुदायिक सूविधा केंद्रों की सहायता से नवीन डिजाइनों एवं उत्पाद्ों का, क्षमता विकास एवं सूचना प्रसार के साथ साथ बाजार सर्वेक्षण एवं उत्पादों की बिक्री करना भी है जिससे समुदाय के सदस्य इन्हें अपनाएं एवं इनका लाभ उठाएं। परिषद् की मुख्य गतिविधियां बांस एवं रेशा विकास दोनों क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आजीविका विकास एवं पारिस्थिकीय पुनर्निमाण करना है.

2) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् का गठन :–

उत्तराखण्ड शासन द्वारा सोसायटी एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत बांस एवं रेशा विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की जीविकोपार्जन एवं पर्यावरणीय सुरक्षा में स्थाई योगदान तथा वर्तमान एवं भविष्य के संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बांस एवं प्राकृतिक रेशों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बी.पी.एल वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षमताओं के विकास हेतु उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् का गठन किया गया. उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् उत्तराखण्ड में बांस एवं रेशा विकास हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है.

3) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् का उद्देश्य :–

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- प्राकृतिक बांस के वनों एवं पूर्ण पुष्पण वाले क्षेत्रों का प्रबन्धन।
- वन पंचायतों/चल रहे जलागम कार्यक्रमों/संयुक्त वानिकी प्रबंधन/आरक्षित वनों एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों /कृषि वानिकी / सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों इत्यादि में बांस के उपयोग को बढ़ावा देना।

- बांस आधारित भूकम्प रोधी निर्माण कार्य, बांस एवं रेशा आधरित उत्पादों की मूल्य वृद्धि, कार्य विधि, तकनीकी जिसमें लकड़ी के विकल्प भी सम्मिलित हैं का विकास करना एवं इनका विस्तार करना जिससे इमारती लकड़ी पर से भार कम हो सके।
- नवीन स्वरूप क्षमताओं , मूल्य वृद्धि तकनीक एवं परीक्षण विधियों का विस्तार करना।
- सहयोगी तकनीकी विकास एवं विपणन हेतु उद्योग–प्रयोगशाला एवं उपभोक्ता के संबंधों को सुधारना।
- विभिन्न संस्थानों एवं उद्योगों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकियों का पता लगाने, उन्हें स्वीकार करने एवं उनके विस्तारीकरण हेतु घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संभावनाओं का पता लगाना।
- नवीन उत्पादों एवं बाजार विकास में न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करने हेतू पुनर्भुगतान के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सूक्ष्म, लघु, छोटी एवं मध्यम उद्यमिताओं का विकास करना।
- नई पीढ़ी के बांस एवं रेशा उत्पादों हेतु गुणवत्ता के पैमाने का विकास करना।
- सड़कों एवं अन्य उपयोग हेतु निर्माण कुटों का विकास करना।
- बांस एवं रेशा उत्पादों के विकास हेतु मशीन एवं उपकरणों का मापदण्ड प्रदान करना।
- किसानों, उद्यमियों, सामुदायिक संस्थाओं इत्यादि को बांस लगाने एवं इसके प्रसंस्करण हेतु प्रेरित करना।
- सामुदायिक सुविधा केन्द्रों/संसाधन केन्द्रों की सहायता से हस्तशिल्पों का विकास करना।
- किसानों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों का बांस एवं रेशा आधारित रोजगार सृजन करना तथा उनकी आय में वृद्धि लाना।

4) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् का मिशन एवं विजन :–

बहुउपयोग की अपार संभावनाओं एवं कई खूबियों के बावजूद भी बांस वनीकरण एवं गुणात्मक उपयोंगों विशेषकर रोपण एवं रोपण पश्चात् उपचार के क्षेत्र में उत्पाद विकास, क्षमता विकास एवं दक्ष कारीगरों की फौज तैयार करने में ज्ञात वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग में तकनीकी खामियों के कारण जूझ रहा है। इसके कारण न केवल संसाधनों का सीमित उपयोग ही हो रहा है बल्कि मूल्य संर्वधन भी औसत से कम हो रहा है। फिर भी, एक हद तक, बांस का उपयोग आगे भी होता रहेगा क्योंकि यह ग्रामीण इलाकों में लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है। इसलिए, बांस को आर्थिक एवं पर्यावरणीय संसाधन की दृष्टि से मानव विकास एवं जीवन शैली के स्तर में सुधार लाने हेतु सुगम बनाने को विकसित करना होगा। यह इसलिए भी क्योकि इसमें स्वास्थय एवं खाद्य सुरक्षा के साथ साथ तेजी से बदलते पर्यावरण को बचाने हेतु व पूर्ण रूप से आजीविका की सुरक्षा हेतु भी अपार संभावनाएं हैं। दीर्घकालिक तौर पर परिषद् इसी कार्य में जुटी हुई है। वर्तमान में परिषद् संसाधन विकास, क्षमता विकास, उत्पाद् विकास एवं विपणन के काम में कार्य कर रही है।

5) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के कृत्य एवं कर्तव्य :–

- ❖ परिषद् संस्था के संचालन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार परिषद् के शासी निकाय को होगा
- ❖ बांस एवं रेशा विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था करना।
- ❖ परिषद् के संचालन के लिए नियम बनाना।
- ❖ परिषद् की बैठकों में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों का क्रियान्वयन करना।
- ❖ आवश्यकता पडने पर परिषद् के स्मृति–पत्र तथा नियमावली में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन करना।
- ❖ परिषद् की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।
- ❖ परिषद् के सदस्यों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं निष्कासन की व्यवस्था करना।
- ❖ परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था तथा जनहित में करना।

6) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

- ❖ उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के अंतर्गत शिल्पकारों हेतु बांस, रिंगाल एवं रेशा से निर्मित बाजार मांग के अनुरूप गुणवत्तायुक्त उत्पाद तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कास्तकारों के मध्य बांस एवं रेशा गतिविधियों को अपनी आजीविका के रूप में अपनाने हेतु जागरूकता अभियान, शैक्षिक भ्रमणों का समय–समय पर आयोजन किया जाता है.
- ❖ जन सामान्य को बांस आधारित भूकम्परोधी भवन निर्माण के लिये प्रोत्साहित करने हेतु ईको हाउस तैयार करना.
- ❖ बांस से जुड़े शिल्पकारों को बांस फर्नीचर निर्माण, बांस प्रसंस्करण, बांस कीट प्रबंधन इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान करना इसे आजीविका वृद्धि के साधन के रूप अपनाने हेतु प्रोत्साहन देना.
- ❖ उत्तराखण्ड में जागरूकता अभियानों के माध्यम से जन सामान्य को बांस रोपण प्रोत्साहित करना.
- ❖ जन सामान्य को जानकारी प्रदान उन्हें उन्नत प्रजाति की बांस पौध सही समय पर तैयार करने हेतु बांस पौधशालाओं की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सके.
- ❖ शिल्पकारों की सुविधा हेतु बांस एवं रेशा के लिये कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना करना.
- ❖ राज्य में पारिस्थितिकीय अनुकूल बांस भवन निर्माण को बढ़ावा देना.

- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बांस एवं रेशा आधारित गतिविधियां अपनाने हेतु जागरूक करने के लिये आजीविका वाटिकाओं की स्थापना करना.
- शिल्पकारों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न क्षेत्र स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग हेतु करवाना.
- शिल्पकारों के समूह को उनके द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु उनका लिंकअप संबंधित क्रेताओं से करवाना.
- बांस, रिंगाल एवं रेशा आधारित सर्वेक्षण करवा उसके अनुरूप क्रियान्वयन नीति तैयार करना.

7) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें

मुख्यालय स्तर :–

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिषद् कार्यों का निर्वाहन प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों का प्रतिनिधायन।
- परिषद् के नीतिगत मामले तथा अन्य गतिविधियों के लिए अध्यक्ष से परामर्श कर बैठक का आयोजन करना।
- शासन स्तर पर आयोजित बैठकों में भाग लेना तथा शासन की नीतियों को अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों के माध्यम से कार्यान्वित करना।

8. उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 17/x-3–16–04(01)/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के माध्यम से स्वीकृत ढांचा

क्र0 स0	पदनाम	वेतन लेवल	वेतनमान	पदों की संख्या
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15	144200–218200	01
2	उप निदेशक/कार्यकारी अधिकारी	12	78800–209200	01
3	प्रबन्धक आजीविका	10	56100–177500	01
4	प्रबन्धक, वानिकी, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण	10	56100–177500	01
5	प्रबन्धक विपणन, गृह निर्माण	10	56100–177500	01
6	प्रधान सहायक/ प्रशासनिक सहायक	6	35400–112400	01
7	लेखाकार	6	35400–112400	01
8	सहायक लेखाकार	5	29200–92300	01
9	वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक	5	29200–92300	01
10	वरिष्ठ सहायक/विपणन सहायक	5	29200–92300	01
11	सी0एफ0सी0 सुपरवाईजर/ फील्ड सुपरवाइजर	4	25500–81100	01
12	कनिष्ठ सहायक	3	21700–69100	01
13	सहायक सी0एफ0सी0/फील्ड सुपरवाईजर	3	21700–69100	01
14	वाहन चालक	3	21700–69100	बाह्य श्रोत
15	अनुसेवक	1	18000–56900	बाह्य श्रोत
	योग			13+वाह्य स्रोत

9) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकारों एवं कार्यों की स्थितिः

अध्यक्ष	परिषद् पर पूर्ण नियंत्रण, सभी प्रकार की बैठक बुलाने और उनकी अध्यक्षता का अधिकार अध्यक्ष का है तथा यूनिट के समस्त विवादों का निपटारा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	परिषद् के वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन, के लेखे – जोखों की व्यवस्था तथा बैंक खातों का संचालन। अध्यक्ष के परामर्श एवं निर्देश पर बैठक बुलाना तथा बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कराना, गत कार्यवाही की पुष्टि कराना तथा परिषद् द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार करना, उनका क्रियान्वयन करवाना तथा परिषद् के हित में सभी कार्य करना।

9. मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के मुख्यालय का पता निम्नानुसार है।

मुख्य कार्यालय

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद
न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इंदिरा नगर देहरादून
दूरभाष एवं फैक्स – 0135 – 2761155
वैबसाइटः www.ubfdb.org.in
ईमेल : uabamboo@gmail.com

10. कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समय

कार्यालय खुलने का समय – प्रातः 10.00 बजे

कार्यालय बन्द होने का समय – सायं 5.00 बजे